पत्रांक 15/एम 1–159/2014– 754
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

पटना, दिनांक 09/4/ 2015

विषयः– जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के क्षेत्रान्तर्गत नवस्थापित महाविद्यालयों के संबंधन एवं छात्रों के नामांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1904 दिनांक 24.09.2014 एवं पत्रांक 2227 दिनांक 25.11.14 का संदर्भ किया जाए। विभागीय पत्रांक 1904 दिनांक 24.09.2014 के द्वारा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के क्षेत्रान्तर्गत नवस्थापित महाविद्यालयों में नामांकन पर रोक से छात्रों के पठन–पाठन पर कुप्रभाव पडने की संभावना को देखते हुए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित अंगीभूत एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाकर छात्रों का नामांकन नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया है तथा इन नवस्थापित महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा लेने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो यह सुनिश्चित करने का भी निदेश है।

पुनः समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 2227 दिनांक 25.11.2014 द्वारा विश्वविद्यालय को यह निदेश दिया गया है कि "वैसे सभी छात्र जो सत्र 2014–15 में नवस्थापित महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम खण्ड में नामांकन कराकर अध्ययनरत है, का नियमानुसार पंजीयन कराते हुए परीक्षा संचालित करने की कार्रवाई की जाए"।

सम्पूर्ण विषय का विभागीय स्तर पर पुर्नसमीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय स्तर से निर्गत पत्रांक 2227 दिनांक 25.11.2014 को विलोपित किया जाता है। साथ ही विभागीय पत्रांक 1904 दिनांक 24.09.2014 के प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों में किस परिस्थति में नामांकन लिया गया, यह देखना विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है तथा इस प्रकार के अवैध कृत का समाधान निकालना भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन आवश्यकतानुसार इस संदर्भ में महामहिम कुलाधिपति से दिशा–निर्देश प्राप्त कर सकता है।

विश्वासभाजन,

9/4

(के0 सेंथिल कुमार)
अपर सचिव

9/4